श्री राघवेन्द्र सिंह, मा0प्र0से0, जिला पदाधिकारी, बक्सर की अध्यक्षता में दिनांक 07.05.2018 को सम्पन्न बाढ़ आपदा प्रबंधन की समीक्षा बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :– उपस्थिति पंजी में संधारित।

कार्यवाही

सर्वप्रथम सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात् बाढ़ पूर्व तैयारी के संबंध में निर्गत विभागीय प्रावधानों एवं विगत बैठक में दिये निदेश के अनुपालन की समीक्षा की गई और समीक्षोपरान्त निम्न निदेश दिये गये –

1. **बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का नक्शा का प्रेषण** :– सभी अंचल अधिकारियों को निदेशित किया गया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का बेहतर तरीके से नक्शा तैयार कर आपदा प्रबंधन शाखा को भेजना सुनिश्चित करेंगे। निदेशित किया गया कि नक्शा तैयार करने के पूर्व जन प्रतिनिधियों के साथ बैठक आहूत कर बाढ़ आपदा के संबंध में विस्तृत चर्चा कर जानकारी प्राप्त करेंगे एवं उसके आधार पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की नक्शा तैयार करेंगे।

(अनु0: सभी अंचल अधिकारी)

2. **वर्षामापक यंत्र** :–

समीक्षा के क्रम में अंचल अधिकरियों द्वारा बताया गया कि वर्षापात की माप हेतु वर्षामापक यंत्र कार्यरत अवस्था में है। बक्सर प्रखण्ड में एक इलेक्ट्रॉनिक वर्षामापक यंत्र है, जिसका display खराब पड़ा हुआ है। निदेशित किया गया कि संबंधित विभाग के माध्यम से उसकी मरम्मति करायें। सभी अंचल अधिकारी, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी एवं प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंध शाखा को निदेशित किया गया कि निर्धारित तिथि से वार्षापात का दैनिक प्रतिवेदन विभाग में भेजना सुनिश्चित करेंगे।

(अनु0:– सभी अंचल अधिकारी/जिला सांख्यिकी पदाधिकारी)

3. **निःशक्त एवं गर्भवती महिलाओं की पहचान** :–

समीक्षा के क्रम में अंचल अधिकारियों को निदेशित किया गया कि बाढ प्रभावित क्षेत्र के राजस्व ग्रामवार निःशक्त व्यक्तियों, धात्री महिलाओं एवं वैसे गर्भवती महिलाओं, जिनका प्रसव जुलाई/अगस्त/सितम्बर में होना है, की सूची तैयार करेंगे तथा सत्यापनोपरान्त अनुमण्डल पदाधिकारी के माध्यम से उक्त सूची को दिनांक 17.05.2018 तक आपदा शाखा को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

(अनु0:–सभी अंचल अधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, आपदा शाखा)

4. **रिसोर्स भवनों/शरण स्थली की पहचान** :– सभी अंचल अधिकारियों को निदेशित किया गया कि बाढ़ आपदा के दौरान विस्थापित परिवारों के लिए शरण स्थली हेतु सरकारी भवनों/स्थलों की पहचान करेंगे तथा पूर्व से ही चिन्हित करेंगे कि उक्त भवन में किस ग्राम/टोला के बाढ़ आपदा प्रभावित परिवार को रखा जाएगा। यह स्थल चार पहिया वाहनों के आवागमन के योग्य होना चाहिए। उक्त स्थल पर पेयजल, शौचालय एवं प्रकाश की व्यवस्था भी की जानी है, साथ ही शरण स्थली की सूची दिनांक 17.05.2018 तक आपदा शाखा को उपलब्ध करायेंगे।

(अनु0: सभी अंचल अधिकारी)

5. <u>नावों की उपलब्धता</u> :–

सभी अंचल अधिकारी को निदेशित किया गया है कि सरकारी नावों का स्वयं निरीक्षण कर सुनिश्चित हो लेंगे कि नाव परिचालन योग्य है और इस संदर्भ में एक सप्ताह के अन्दर अनुमण्डल पदाधिकारी के माध्यम से प्रतिवेदन आपदा शाखा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। निजी नावों को चिन्हित करें तथा नाव मालिकों के साथ एकरारनामा करें अंचल अधिकारियों को निदेशित किया गया कि सरकारी नाव एवं निजी नाव चलाने हेतु जिन नाविकों को चिन्हित किया गया है, उन नाविकों का नाम एवं मोबाईल नं0 अनुमण्डल पदाधिकारी के माध्यम से आपदा शाखा में एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही निजी नाव का निबंधन भी सुनिश्चित करेंगे। निदेशित किया गया कि यदि किसी सरकारी नाव की मरम्मति की आवश्यकता हो तो उसका मरम्मति कराना सुनिश्चित करेंगे।

अंचल अधिकरियों को निदेशित किया गया कि नावों का निबंधन कराना सुनिश्चित करेंगे। बाढ़ के दौरान कोई भी नाव बिना निबंधन के परिचालन नहीं होना चाहिए। जिला परिवहन पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि निबंधित होने वालों नावों का मोटर यान निरीक्षक के माध्यम भौतिक रुप से जाँच कराने के उपरान्त ही परिचालन योग्य नावों का निबंधन कराना सुनिश्चित करेंगे।

सभी अंचल अधिकारियों को निदेशित किया जाता है कि नावों का पंचायतवार टैगिंग सुनिश्चित कर लेंगे बाढ़ के दौरान नाव के परिचालन को लेकर कोई समस्या उत्पन्न न हो। अंचल अधिकारी एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, नाव का परिचालन SOP के प्रावधानों के अंतर्गत सुनिश्चित करायेंगे।

बैठक में निदेशित किया गया कि पूर्व के बाढ़ आपदा के दौरान नाव/नाविक का यदि कोई बकाया हो तो उसका भुगतान सुनिश्चित करेंगे। यदि राशि नहीं हो तो उसके लिए अधियाचना भेजना सुनिश्चित करेंगे।

(अनु0:– अंचल अधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी/जिला परिवहन पदाधिकारी)

6. <u>बाढ़ निरोधक कार्य</u> :– बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल के द्वारा बक्सर–कोईलवर तटबंध की सुरक्षा हेतु कार्य कराया जाना है। इसके अतिरिक्त कटाव वाले स्थलों पर बाढ़ निरोधक कार्य कराया जाना है। कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल के द्वारा बताया गया कि बाढ़ पूर्व तैयारी के मद्देनजर सिमरी, ब्रह्मपुर एवं बक्सर अंचल अन्तर्गत बक्सर–कोईलवर तटबंध पर कार्य कराया जा रहा है। बक्सर में बाढ़ के दौरान कार्य हेतु आवश्यक सामग्रियों का भण्डारण भी किया जा रहा है। सभी संबंधित अंचल अधिकारियों एवं अनुमण्डल पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि बाढ़ प्रमण्डल के द्वारा कराये जा रहे कार्यो का स्थल निरीक्षण करें तथा यदि अन्य स्थलों पर कार्य कराया जाना है तो उसके संबंध में बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल को अवगत कराते हुए अधोहस्ताक्षरी प्रतिवेदित करें। अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमरांव को अपने अनुमण्डल अन्तर्गत बक्सर–कोईलवर तटबंध का बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल के अभियंताओं के साथ संयुक्त रूप से निरीक्षण कर प्रतिवेदित करेंगे।

प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन शाखा को निदेशित किया गया कि तटबंधों की सुरक्षा हेतु गृहरक्षकों की प्रतिनियुक्ति कराना सुनिश्चित करेंगे। कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल को निदेशित किया गया कि इस हेतु अविलम्ब अधियाचना भेजना सुनिश्चित सुनिश्चित करेंगे। सभी संबंधित अंचल अधिकारियों को निदेशित किया गया कि तटबंधों की सुरक्षा हेतु प्रतिनियुक्त गृहरक्षकों की उपस्थिति की औचक रूप से जांच करना सुनिश्चित करेंगे।

(अनु0: सभी अंचल अधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी/कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण)

7. <u>रिसोर्स मैपिंग</u> :– सभी अंचल अधिकारियों को निदेशित किया गया कि बाढ़ आपदा के दौरान उपयोग होने वाले सामग्रियों/मानव बल की रिसोर्स मैपिंग कर प्रतिवेदित करें। इन्हें निदेशित किया गया कि एफ0आर0पी0 मोटर वोट, इन्फ्लैटेबुल मोटर वोट, लाईफ जैकेट, महाजाल, नाव, टेंट, जी0प0एस0 सेट, प्रोजेक्ट मशीन (स्क्रीन के साथ), गोताखोरों की उपलब्धता, प्रशिक्षित स्वयं सेवी, तैराक समुदाय, प्रतिक्षित गोताखोर एवं अनुसूचित जाति के प्रशिक्षण स्वयं सेवी के बारे में अपने अंचल में उपलब्धता की भौतिक रूप से जांच कर लेंगे। लाईफ जैकेट, वोट, नाव, महाजाल एवं टेंट की भी जांच करेंगे। सामग्रियों की कमी होने पर अधियाचना भेजना सुनिश्चित करेंगे।

सभी अंचल अधिकारियों को निदेशित किया गया कि कि बाढ़ के दौरान जेनरेटर सेट, पेट्रोमैक्स, टेंट, आदि की बाढ़ अपदा के SOP में निहित सामग्रियों की उपलब्धता के संबंध में संबंधित एजेंसी के साथ बैठक कर समीक्षा करेंगे तथा प्रतिवेदन तैयार कर रखेंगे कि कौन सी सामग्री कितने संख्या में कहा उपलब्ध है तथा बाढ़ आपदा के समय उसे एजेंसी के द्वारा उपलब्ध कराने के बिन्दु पर सहमति भी प्राप्त करेंगे एवं प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करेंगे।

(अनु0: सभी अंचल अधिकारी)

8. <u>दवा की उपलब्धता</u> :–

समीक्षा के क्रम में सिविल सर्जन को निदेशित किया गया कि पर्याप्त संख्या में मानव दवा उपलब्धता सुनिश्चित करायेंगे। सिविल सर्जन को निदेशित किया गया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए पर्याप्त संख्या में दस्त रोधी दवाऐं, सर्प दंश की दवा, कुत्ता की काटने की दवा, ORS, हैलोजन टेबलेट एवं ब्लीचिंग पाउडर की स्टॉक रखेंगे तथा आवश्कतानुसार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करायेंगे। इसके अतिरिक्त कीट जनित बीमारियों को राकने हेतु पर्याप्त मात्रा में कीट जनित दवाओं की भी उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। निदेशित किया गया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चलंत चिकित्सा दलों का गठन सुनिश्चित कर लेंगे।

(अनु0:– सिविल सर्जन)

9. <u>पशु चारा एवं पशु दवा की उपलब्धता</u> :–

समीक्षा के क्रम में जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि पशु से संबंधित सभी प्रकार की दवा उपलब्ध है, जिन्हें सभी पशु चिकित्सालयों में उपलब्ध कराया गय है। पशुपालन पदाधिकारी को बाढ़ के दौरान चिन्हित पशु राहत शिविरों में आवश्यकतानुसार पशुओं से संबंधित दवा की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया। साथ ही निदेशित किया गया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चलंत एम्बलेंस की व्यवस्था करेंगे।

जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि पशु चारे हतु निविदा की गई है। पशुपालन पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि पशुओं के चारा रखने हेतु उपर्युक्त स्थल का चयन पंचायतवार अंचल अधिकारी से समन्वय स्थापित कर चिन्हित कर लिया जाय तथा इसकी सूची आपदा शाखा को एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जाय।

(अनु0:– जिला पशुपालन पदाधिकारी,)

10 .सड़क की मरम्मति :–

बाढ़ के दौरान पथ क्षतिग्रस्त होने पर आवागमन प्रभावित होता है इसके लिए पथ को मोटरेबल बनाया जाना आवश्यक है। कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बक्सर एवं डुमरांव तथा कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल को निदेशित किया गया है कि बाढ़ आपदा के दौरान पथों को निरीक्षण कर मोटरेबल बनाना सुनिश्चित करेंगें। अंचल अधिकारियों एवं अनुमण्डल पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान अपने क्षेत्र पथों का निरीक्षण करेंगे तथा यदि मरम्मति का प्रस्ताव हो तो तुरन्त भेजना सुनिश्चित करेंगे ताकि क्षतिग्रस्त पथों की मरम्मति संबंधित विभाग के माध्यम से शीघ्र कराया जा सके।

समीक्षा के क्रम में चक्की के पास तटबंध पर पथ क्षतिग्रस्त होने की जानकारी दी गई। इसी तरह बक्सर प्रखण्ड के करहंसी में नदी पर अवस्थित पुल के बगल के रोड को क्षतिग्रस्त होने की जानकारी दी गई। राजपुर में हरपुर में पथ भी क्षतिग्रस्त है। कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, बक्सर एवं डुमरांव को निदेशित किया गया कि अपने पथों की निरीक्षण कर मोटरेवल बनाना सुनिश्चित करेंगे।

(अनु0:– कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बक्सर एवं डुमराँव/कार्यपलक अभियंता, पथ प्रमण्डल बक्सर)

11. बाढ़ प्रभावित पंचायतों में बाढ़ राहत कार्य हेतु नोडल पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति :–

सभी अंचल अधिकारियों को निदेशित किया गया कि बाढ़ प्रभावित पंचायतों में नोडल पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही प्रतिनियुक्त नोडल पदाधिकारी के साथ बैठक आयोजित कर आवश्यक निदेश देंगे तथा समय–समय पर समीक्षा करना सुनिश्चित करेंगे।

(अनु0: सभी अंचल अधिकारी)

12. समुदायों का प्रशिक्षण/खोज बचाव एवं राहत दलों का गठन :–

बैठक में प्रभारी पदाधिकारी, अपदा प्रबंधन शाखा के द्वारा बताया गया कि समुदायों का प्रशिक्षण हो गया है। निदेशित किया गया कि विद्यालयों/पंचायतों में बाढ़ आपदा के प्रशिक्षण हेतु व्यवस्था करने लिए आपदा प्रबंधन विभाग से अनुरोध करेंगे।

SDRF के द्वारा समय–समय पर नवयुवकों को प्रशिक्षित करता है। पूर्व के प्रशिक्षित गोताखोरों का पहचान करने तथा डाटाबेस तैयार करने का निदेश दिया गया। आवश्यकता होने पर अन्य युवकों को भी प्रशिक्षित कराने का निदेश दिया गया। साथ ही निदेशित किया गया कि पंचायतवार गोताखोरों का नाम एवं मोबाईल नं0 का डाटाबेस तैयार कर आपदा शाखा को एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही स्थानीय स्तर पर भी गोताखोरों को चिन्हित कर उसका डाटाबेस तैयार किया जाय ताकि आवश्यकतानुसार उनसे भी बचाव कार्य में सहयोग लिया जा सके।

(अनु0:– सभी अंचल अधिकारी,)

13. संचार व्यवस्था :–

बाढ़ के दौरान संचार व्यवस्था प्रायः बाधित होती है। ऐसी स्थिति में Communication Plan तैयार किया जाना अत्यंत आवश्यक है। अंचल अधिकारियों को निदेशित किया गया कि राजस्व ग्रामवार स्थानीय जनप्रतिनिधियों, A.N.M. आशा, आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका, किसान सलाहकार, जन वितरण प्रणाली दुकानदार, विकास मित्र, पंचायत सचिव, पंचायत रोजगार सेवक एवं अन्य सरकारी कर्मियों के नाम एवं उनके मोबाईल नं0 का डाटाबेस तैयार करेंगे। यदि उनके द्वारा दो–तीन सेवा कम्पनियों का मोबाईल नम्बर उपलब्ध हो तो उनक नम्बरों को भी प्राप्त कर डाटा में संकलित करेंगे ताकि बाढ़ आपदा के दौरान इन लोगो से सम्पर्क कर स्थिति का जायजा लिया जा सके। अंचल अधिकारियों कोएक सप्ताह के अंदर Communication Plan तैयार कर आपदा शाखा को उपलब्ध कराने का निदेशदिया गया। प्रभारी पदाधिकारी, आपदा शाखा को निदेशित किया गया कि सभी अंचल अधिकारियों से प्राप्त Communication Plan को जिला कन्ट्रोल रूम को उपलब्ध करायेंगे तथा उसकी एक प्रति आपदा शाखा में रखेंगे। अंचल अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि बाढ़ के समय राजस्व कर्मचारी, पंचायत रोजगार सेवक अपने मुख्यालय में उपस्थित रहेंगे।

(अनु0:– सभी अंचल अधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, आपदा शाखा)

14. आपातकालीन संचालन केन्द्र/नियंत्रण कक्ष :–

सभी अंचल अधिकारियों, अनुमण्डल पदाधिकायिों एवं प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन शाखा को आपातकालीन संचालन केन्द्र/नियंत्रण कक्ष स्थापित करने एवं उसमें कर्मियों एवं पदाधिकरियों की प्रतिनियुक्ति करने तथा नियंत्रण कक्ष का दूरभाष संख्या प्रकाशित कराने का निदेश दिया गया।

(अनु0:– सभी अंचल अधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी/ प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन शाखा)

15 रूट चार्ट :–

अंचल अधिकारियों को प्रखण्ड मुख्यालय से पंचायत में जाने हेतु मूल रूट चार्ट एवं वैकल्पिक रूट चार्ट एक सप्ताह के अंदर आपदा शाखा को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। प्रभारी पदाधिकारी, आपदा शाखा को भी जिला मुख्यालय से प्रखण्ड मुख्यालयों में जाने हेतु मुख्य रूट चार्ट एवं वैकल्पिक रूट चार्ट तैयार करने का निदेशदिया गया।

(अनु0:– सभी अंचल अधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, आपदा शाखा)

16. कृषि :–

समीक्षा के क्रम में जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि बाढ़ एवं सुखाड़ दोनों ही परिस्थितियों में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से आकस्मिक फसलों की तैयारी की जाती है। निदेशित किया गया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लगाये फसलों का सर्वेक्षण करा लें ताकि फसल क्षति के स्थिति में मुआवजा भुगतान हो सके एवं आकस्मिक फसल की व्यवस्था की जा सके।

(अनु0:– सभी अंचल अधिकारी)

17. अन्य महत्त्वपूर्ण निदेशः–

(i) अंचल अधिकारियों एवं संबंधित पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि बाढ़/आपदा के SOP के आधार पर सभी आवश्यक तैयारी करते हुए दिनांक 17.05.2018 तक प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करेंगे।

(ii) अपर समाहर्त्ता के द्वारा बताया गया कि मौसम विभाग के द्वारा भारी वर्षा एवं आंधी के बारे में एर्ल्ट जारी किया गया है। अतः सभी अंचल अधिकारियों को निदेशित किया गया कि क्षेत्र भ्रमण लोगों को आवश्यक सुझाव देंगे तथा किसी प्रकार की आपदा होने पर तत्काल प्रतिवेदित करेंगे।

(अनु0:– सभी अंचल अधिकारी)

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

22.05.18

जिला पदाधिकारी,
बक्सर।

ज्ञापांक 03-1457 /रा0 दिनांक 22/05/2018 ।

प्रतिलिपि :– सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी, बक्सर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, बक्सर को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, बक्सर / जिला पशुपालन पदाधिकारी, बक्सर / कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, बक्सर/कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, बक्सर/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बक्सर एवं डुमरॉव / कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, बक्सर / सिविल सर्जन, बक्सर / सभी संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– विशेष कार्य पदाधिकारी, गोपनीय शाखा, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमरॉव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन शाखा, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– उप विकास आयुक्त/अपर समाहर्त्ता, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

22/05/18

जिला पदाधिकारी,
बक्सर।